न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 12/2018
अनवान :–
श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामपाल अरोड़ा(विक्रेता) मैसर्स जी.एस. प्रोविजन स्टोर, रेल्वे स्टेशन रोड़, सांखला क्रॉसिंग फाटक के पास, बीकानेर
2. श्री गौरीशंकर पुत्र श्री दीनदयाल मोदी (मालिक) मैसर्स जी.एस. प्रोविजन स्टोर, रेल्वे स्टेशन रोड़, सांखला क्रॉसिंग फाटक के पास, बीकानेर
3. श्रीमती सुनिता गोयल, प्रोपराइटर, मैसर्स– गोयल एजेन्सीज, रानीबाजार, बीकानेर, निवासी मनोरमा सदर ब्रह्मचर्या आश्रम के पीछे, रानी बाजार, बीकानेर
4. श्री मन्तोश कुमार वर्मा पुत्र श्री जे.पी. वर्मा (नोमिनी निर्माता फर्म) मैसर्स तिरूपति उद्योग, 49 सी इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाड़ा जयपुर(राज)302012, निवासी मकान नं. 1196, वर्मा बिल्डिंग एसबीबीजे गली चौड़ा रास्ता जयपुर
5. मैसर्स तिरूपति उद्योग, 49 सी इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाड़ा जयपुर(राज)302012 (निर्माता फर्म)

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1- प्रार्थी – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2- अप्रार्थी संख्या 1 व 2 – स्वयं उपस्थित।
3- अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 – अनुपस्थित।

–: निर्णय :– **दिनांक :– 29.04.2019**

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री हंसराज साध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सेवानिवृत) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर ने दिनांक 22.03.2017 को अप्रार्थीपक्ष श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र रामपाल अरोड़ा – मैसर्स जी.एस. प्रोविजन स्टोर, रेल्वे स्टेशन रोड़ सांखला क्रॉसिंग फाटक के पास बीकानेर के यहां दुकान का निरीक्षण के दौरान 07 नग प्रत्येक 500 मिली पैक्ड प्लास्टिक बोतल सरसों तेल (पवन) आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पैक सरसों तेल (पवन) 500 एमएल की प्लास्टिक बोतलों में से चार पैक्ड प्लास्टिक बोतल सरसों तेल (पवन) पैक्ड 500 मिलीलीटर नमूना संग्रह हेतु क्रय कर विक्रेता द्वारा बताये अनुसार मूल्य 280/– रूपये में श्री हंसराज साध तत्का. खा.सु.अ. द्वारा विक्रेता श्री राजेन्द्र कुमार को नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त की जिस पर श्री हंसराज साध, गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर है। तदन्त्र श्री हंसराज साध तत्का. खा.सु.अ. ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कोड एवं क्रमांक जे– 1384 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व श्री हंसराज साध तत्का. खा.सु.अ. ने स्वयं किये तथा उक्त चारों नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गौंद से

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

चिपकाया, तत्पश्चात नमूना बोतलों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप जे–1384 को नियमानुसार सील चपड़ी कर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, समझाकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये एवं स्वयं श्री हंसराज साथ तत्का. खा.सु.अ.ने हस्ताक्षर किये। उक्त सीलबंद नमूनों में से एक भाग सील बन्द लिफाफा मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से दिनांक 17.04.2017 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई। जिसमें सरसों तेल (पवन) सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थीगण द्वारा सरसों तेल (पवन) सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 एवं धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से श्री कैलाश बोरड अधिवक्ता ने दिनांक 27.12.2018 को वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु अण्डरटेंकिग दी। इस दरम्यिान इन्हें समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद ना तो इनकी ओर से वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत हुआ और ना ही स्वयं अथवा प्रतिनिधि उपस्थित आये। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. तदन्तर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस सुनी गई ।

4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में निवेदन किया कि इस मामले में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हंसराज साथ (सेवानिवृत) द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से सरसों तेल (पवन) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट क्रमांक L.S./702/Act/2017/769 दिनांक 17-04-2017 के अनुसार इस मामले में The sample of "Mustard Oil (Pawan)" bearing Code No. and Sr. No. J-1384 is Substandard & Misbranded Food under section 3(1)(zx)&(c)(i)of food safety and standards Act. 2006 Neither Confroms to the Purity Standard of Mustard Oil Nor Labelled Accourdance to the Contravene Regulation 2.2.2(10) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां सरसों तेल (पवन) सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थीगणों को धारा 51 एवं धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 22.03.2017 को प्रार्थी उक्त दुकान पर विक्रेता के तौर पर कार्य कर रहा था। मालिक दुकानदार मौजूद नहीं होने से निरीक्षण के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सरसों के तेल (पवन ब्राण्ड 500 एमएल) पैक सील बन्द अवस्था में जांच हेतु नमूने लिये गये थे। अप्रार्थी ने उक्त तेल गोयल एजेन्सी डिस्ट्रीब्युटर एण्ड कमीशन एजेन्ट रानीबाजार बीकानेर के बिल संख्या 7801 दिनांक 03.03.2017 को विक्रय हेतु खरीदा गया था। जिसकी जांच हेतु नमूना लिया गया। अप्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ (तेल) का ना तो उनके द्वारा निर्माण किया जाता है और ना ही पैकिंग की जाती है, पैक अवस्था में क्रय कर आगे विक्रय किया जाता है। इसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कोई दोष नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद इसी आधार पर खारिज करने की अनुकम्पा करें।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाई गई सरसों तेल (पवन) की सैम्पलिंग रिपोर्ट में सरसों तेल (पवन) सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक L.S./702/Act/2017/769 दिनांक 17-04-2017 के अनुसार इस मामले में The sample of "Mustard Oil (Pawan)" bearing Code No. and Sr. No. J-1384 is Substandard & Misbranded Food under section 3(1)(zx)& (c)(i)of food safety and standards Act, 2006 Neither Confroms to the Purity Standard of Mustard Oil Nor Labelled Accourdance to the Contravene Regulation 2.2.2(10) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां सरसों तेल (पवन) सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है।

7. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के द्वारा सरसों तेल (पवन) सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) उत्पादन/वितरण/विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है।

8. अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थ सरसों तेल (पवन) सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं धारा 52 के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत **60,000/– अखरे रूपये साठ हजार** मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

9. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

10. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) खाद्य पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 4 ता 5 का ही परिलक्षित होता है । अतः आरोपित शास्ति राशि में से रूपये 40,000/– अखरे चालीस हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 4 ता 5 को दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 4 ता 5 प्रत्येक 20–20 हजार रूपये की शास्ति भरने हेतु दायी होगें।

11. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु वितरण एवं विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में वितरक एवं विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 विक्रेता एवं वितरक द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री सरसों तेल (पवन) सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का विक्रय/वितरण किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (ii) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 4 ता 5 विनिर्माता की शास्ति को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति 20,000/– रूपये में से अप्रार्थी संख्या 3 वितरक की शास्ति रूपये 10,000/– रूपये यानि अप्रार्थी संख्या 3 भरने हेतु दायी होगा तथा शेष आरोपित शास्ति 10,000/– अप्रार्थी संख्या 1 व 2 विक्रेता भरने हेतु दायी होगा। यानि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक 5–5 हजार रूपये भरने हेतु दायी होगा।

12. **इस प्रकार कुल आरोपित 60,000/– रूपये की शास्ति में से 40,000/– रूपये अप्रार्थी संख्या 4 ता 5 प्रत्येक 20–20 हजार रूपये (विनिर्माता)** एवं **अप्रार्थी संख्या 3 वितरक 10,000/– रूपये** तथा **अप्रार्थी संख्या 1 व 2 (विक्रेता) प्रत्येक 5–5 हजार रूपये** की शास्ति अदा करेगें।

13. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

14. निर्णय आज दिनांक **29.04.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को जरिये रजिस्टर्ड पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गोरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner